प्राक्कथन

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह प्रतिवेदन मुख्यतः भारतीय वायु सेना से संबंधित वित्तीय लेन-देन तथा प्रचालनात्मक निष्पादन की नमूना लेखापरीक्षा से उदभूत मामलों से संबंधित है। रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सेना इंजीनियर सेवा तथा हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से उद्भूत भारतीय वायु सेना से संबंधित मामले भी इस प्रतिवेदन का भाग हैं।

इस प्रतिवेदन में 'ए ए', 'सी' वायुयान, 'डी डी' वायुयान, आई ए एफ में प्रचालनात्मक कार्य, डी आर डी ओ की मिशन मोड परियोजनाओं, एच ए एल में सम्पदा प्रबंधन तथा एच ए एल द्वारा जे वी कम्पनियों में निवेश पर लेखापरीक्षा समीक्षाओं सहित 15 पैराग्राफ सम्मिलित हैं।

प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उन मामलों में से हैं जो 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा करते समय ध्यान में आए तथा वे मामले जो पिछले वर्षों के दौरान ध्यान में आए, परन्तु पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके। जहां आवश्यक था, मार्च 2014 के बाद की सूचना भी शामिल की गई है।